राजस्थान सरकार
शिक्षा(ग्रुप–1)विभाग

क्रमांक प. 14(4)शिक्षा–1/कोटा/2014पार्ट जयपुर, दिनांक 23.9.2016

:: आदेश ::

शिक्षा विभाग के अधीन संचालित कक्षा 6 से 10/12 के विद्यालयों में उनके आस–पास उसी स्थान पर संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को समन्वित कर कक्षा 1 से 10/12 के, समन्वित (एकीकृत) विद्यालयों की स्थापना की गयी। जिन माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के परिसर में पर्याप्त स्थान उपलब्ध था एवं कक्षा 1 से 5/8 के विद्यार्थियों के लिये इन परिसरों में अध्ययन हेतु आना सुविधाजनक था, उन विद्यालयों में कक्षा 1 से 10/12 तक की समस्त कक्षाओं का संचालन एक ही परिसर में किया जा रहा है तथा अन्य समन्वित विद्यालयों में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन पृथक–पृथक भवनों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किया जा रहा है। परन्तु दोनों ही मामलों में समन्वित (एकीकृत) विद्यालय को एक ही प्रशासनिक इकाई मानते हुए संचालित किया जा रहा है। इस व्यवस्था के निम्नलिखित लाभ हुए है :–

i. प्राथमिक कक्षाओं को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को समन्वित करने से इन कक्षाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक का हो गया। जिसके फलस्वरूप प्राथमिक कक्षाओं की बेहतर मॉनिटरिंग होने से विद्यार्थियों की शैक्षिणिक स्तर में गुणात्मक सुधार हुआ है।
ii. एकीकरण के फलस्वरूप इन विद्यालयों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में वर्ष 2015–16 में नामांकन में वृद्धि हुई है।
iii. प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों का समग्र प्रशासनिक नियंत्रण समन्वित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्थाप्रधान के पास होने के फलस्वरूप शिक्षकों की उपस्थिति एवं शैक्षणिक कार्य में भी सुधार हुआ है।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय जो राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 10/12) के अत्यन्त निकट है उन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त छात्र संख्या उपलब्ध नहीं हो पाती है। जिसके कारण आर.टी.ई. के मानदण्डों के अनुसार अध्यापकों के पद स्वीकृत होने के वावजूद भी प्रत्येक कक्षा हेतु पृथक शिक्षक की उपलब्धता भी संभव नही हो पाती है एवं शिक्षा की गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित होती है।

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक कम नामांकन वाले प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों को ग्राम के निकटतम माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समन्वित करने हेतु निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर द्वारा प्रस्ताव तैयार कर आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान को प्रेषित किये गये। आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर की अध्यक्षता में समन्वयन के प्रस्तावों की जॉच एवं परीक्षण हेतु गठित समिति के द्वारा जॉच उपरान्त प्रारम्भिक शिक्षा विभाग को भिजवाये गये।

प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग द्वारा परीक्षण एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा के पश्चात स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने के लिए जिला कोटा के कम नामांकन वाले कॉलम संख्या 6 में वर्णित विद्यालयों को कॉलम 5 में वर्णित विद्यालयों में निम्नानुसार समन्वित किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैः–

जिला : कोटा

क्र0स0	पंचायत समिति / नगरपालिका	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम / वार्ड नं0	राउमावि / मावि (एकीकृत)	समन्वित विद्यालय
1	2	3	4	5	6
1.	सुल्तानपुर	किशोरपुरा	छोटी जाखडोन्द	रामावि जाखडोन्द	राप्रावि छोटी जाखडोन्द
2.	सुल्तानपुर	मोरपा	बोरखेडा	राउमावि मोरपा	राप्रावि बोरखेडा
3.	सुल्तानपुर	नोताडा मालियान	नोताडा मालियान	राउमावि नोताडा मालियान	राप्रावि तकदीरपुरा (नोताडा)
4.	इटावा	ख्यावदा	पुरोहितजी की झोंपडिया	राउमावि ख्यावदा	राप्रावि पुरोहितजी की झोंपडिया
5.	इटावा	जोरावरपुरा	कडीला	रामावि खेडली बेरीसाल	राप्रावि कडीला
6.	इटावा	जोरावरपुरा	भैरूपुरा	राउमावि जोरावरपुरा	राप्रावि भैरूपुरा
7.	इटावा	अयाना	माटोली	रामावि विजयपुरा	राप्रावि माटोली
8.	इटावा	ढीपरी चम्बल	टोडी	राउमावि ढीपरी चम्बल	राप्रावि टोडी
9.	लाडपुरा	मवासा	छीपनहेडी	रामावि बडौदिया	राप्रावि छीपनहेडी
10.	लाडपुरा	रंगपुर	खेजडा की चौकी	राउमावि रंगपुर	राप्रावि खेजडा की चौकी